



83

स्वीकृत - 1998/2018

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी II/निगरानी/भू.रा/2018/1998

अनुदेश श्रीवास्तव
23-3-18
6-4-18
वकास
23-3-18

1. अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा,
2. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा निवासीगण - ग्राम भगवासा तहसील गोहद, जिला भिण्ड

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन
2. नरेश शर्मा पुत्र श्री माधौप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम भगवासा तहसील गोहद, जिला भिण्ड रेस्पोंडेन्टस

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति.....
पृष्ठ क्र..... से 23
दिनांक..... 23/3/18
हस्ताक्षर व नाम.....

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.01.2018 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 0074/निगरानी/ 2017-18 व उनवान अनिल कुमार शर्मा व अन्य बनाम म0प्र0 शासन व अन्य जिसके द्वारा अनावेदक की निगरानी अस्वीकार की गई है जिससे व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि ग्राम भगवासा के सर्वे क्रमांक 1157, 1158, का पट्टा अन्तर्गत धारा 239 म प्र भू राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रार्थीगण को प्रदान किया गया था। पट्टा प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा वृक्षारोपण की शर्तों के तहत फलदार वृक्ष आम, इमली, जामुन, खरीदे गये एवं


Handwritten signature/initials.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/भिण्ड/भूरा./2018/1998

अनिल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 74/निगरानी/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त चम्बल संभाग चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	

